संख्या 2/5/2017-ई.।।(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 07 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) दिए जाने के बारे में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए विनिश्चय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति ने यह विनिश्चय किया है कि इस मंत्रालय के तारीख 27 नवम्बर, 1965 के समय-समय पर यथा-संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(37)-ई.।।(बी)/64, 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(13)/2008-ई.।।(बी) और 21 जुलाई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2014-ई.।।(बी) के उपांतरण में मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता इस प्रकार होगी--

नगरों/कस्बों का वर्गीकरण	केवल मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में प्रति माह मकान किराया भत्ता की दर
'एक्स'	**24%**
'वाई'	**16%**
'जैड'	**8%**

2. 'एक्स', 'वाई' और 'जैड' वर्ग के नगरों में मकान किराया भत्ता की दरें क्रमश: 5400 रुपए, 3600 रुपए और 1800 रुपए से कम नहीं होंगी।

3. महंगाई भत्ता जब 25 प्रतिशत से ऊपर हो जाएगा तो 'एक्स', 'वाई' और 'जैड' वर्ग के नगरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित करके क्रमश: 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत कर दी जाएंगी तथा महंगाई भत्ता जब 50 प्रतिशत से ऊपर हो जाएगा तो ये दरें आगे पुनरीक्षित करके क्रमश: 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दी जाएंगीं।

4. पुनरीक्षित वेतन संरचना में **'मूल वेतन'** शब्द का अर्थ है- वेतन मैट्रिक्स के विनिर्धारित वेतन लेवलों में आहरित वेतन और इसके अंतर्गत प्रैक्टिसबंदी भत्ता (एनपीए), सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी), आदि अथवा विशेष वेतन, आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

5. मकान किराया भत्ता दिए जाने के प्रयोजन से, व्यय विभाग के 21 जुलाई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2014-ई.।।(बी) के अंतर्गत 'एक्स', 'वाई' और 'जैड' के रूप में वर्गीकृत नगरों की सूची, इस आदेश के साथ **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

6. फरीदाबाद, ग़ाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर दिल्ली ('एक्स' वर्ग का नगर) की दरों, जालंधर छावनी पर जालंधर ('वाई' वर्ग का नगर) की दरों, शिलोंग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर पर 'वाई' वर्ग के नगर की दरों पर मकान किराया भत्ता जारी रहने के बारे में विशेष आदेश तथा इस मंत्रालय के तारीख 21 जुलाई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2014-ई.।।(बी) के पैरा 4 एवं 03 फरवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/2/2016-ई.।।(बी) के अंतर्गत चंडीगढ़ ('वाई' वर्ग का नगर) के समान

पंचकुला, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के लिए मकान किराया भत्ता जारी रखने की जो अनुमति दी गई थी, वह अनुमति अगले आदेशों तक जारी रहेगी।

7. विद्यमान आदेशों के अंतर्गत मकान किराए भत्ते की देयता को संचालित करने वाली अन्य सभी शर्तें लागू बनी रहेंगी।

8. ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी हैं।

9. ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविलियन कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये आदेश उन सिविलियन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें भुगतान **रक्षा सेवा प्राक्कलनों** से किया जाता है। सशस्त्र बलों के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग से क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

10. जहां तक भारतीय लेखापरीखा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि- मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि-

- **नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि- मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।**

कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2017-ई.II(बी) तारीख 07 जुलाई, 2017 का अनुबंध

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते की मंजूरी के लिए वर्गीकृत नगरों/कस्बों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	'एक्स' के रूप में वर्गीकृत नगर	'वाई' के रूप में वर्गीकृत नगर
1.	**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**	—	—
2.	**आंध्र प्रदेश/तेलंगाना**	हैदराबाद (नगर बस्ती)	विजयवाड़ा (नगर बस्ती), वारंगल (नगर बस्ती), ग्रेटर विशाखापट्नम (नगर पालिका), गुंटूर (नगर बस्ती), नेल्लूर (नगर बस्ती)
3.	**अरुणाचल प्रदेश**	—	—
4.	**असम**	---	गुवाहाटी (नगर बस्ती)
5.	**बिहार**	---	पटना (नगर बस्ती)
6.	**चंडीगढ़**	---	चंडीगढ़ (नगर बस्ती)
7.	**छत्तीसगढ़**	—	दुर्ग-भिलाई नगर (नगर बस्ती), रायपुर (नगर बस्ती)
8.	**दादरा और नगर हवेली**	—	—
9.	**दमन और दीउ**	---	---
10.	**दिल्ली**	दिल्ली (नगर बस्ती)	
11.	**गोवा**	---	---
12.	**गुजरात**	अहमदाबाद (नगर बस्ती)	राजकोट (नगर बस्ती), जामनगर (नगर बस्ती), भावनगर (नगर बस्ती), वदोदरा (नगर बस्ती), सूरत (नगर बस्ती)
13.	**हरियाणा**	---	फरीदाबाद*(**नगर पालिका**), गुड़गांव*(नगर बस्ती)
14.	**हिमाचल प्रदेश**	---	---
15.	**जम्मू और कश्मीर**	---	श्रीनगर (नगर बस्ती), जम्मू (नगर बस्ती)
16.	**झारखंड**	—	जमशेदपुर (नगर बस्ती), धनबाद (नगर बस्ती), रांची (नगर बस्ती), बोकारो स्टील सिटी (नगर बस्ती)
17.	**कर्नाटक**	बंगलौर/बंगलुरु (नगर बस्ती)	बेलगांव (नगर बस्ती), हुबली-धारवाड़ (नगर पालिका), मंगलौर (नगर बस्ती), मैसूर (नगर बस्ती), गुलबर्गा (नगर बस्ती)
18.	**केरल**	—	कोझीकोड (नगर बस्ती), कोची (नगर बस्ती), तिरुअनंतपुरम् (नगर बस्ती), त्रिशूर (नगर बस्ती), मलप्पुरम् (नगर बस्ती), कन्नूर (नगर बस्ती), कोल्लम (नगर बस्ती)
19.	**लक्षद्वीप**	---	---
20.	**मध्य प्रदेश**	—	ग्वालियर (नगर बस्ती), इंदौर (नगर बस्ती), भोपाल (नगर बस्ती), जबलपुर (नगर बस्ती), उज्जैन (नगर पालिका)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	'एक्स' के रूप में वर्गीकृत नगर	'वाई' के रूप में वर्गीकृत नगर
21.	**महाराष्ट्र**	बृहन् मुंबई (नगर बस्ती), पूना (नगर बस्ती)	अमरावती (नगर पालिका), नागपुर (नगर बस्ती), औरंगाबाद (नगर बस्ती), नासिक (नगर बस्ती), भिवंडी (नगर बस्ती), शोलापुर (नगर पालिका), कोल्हापुर (नगर बस्ती), वसई-विरार नगर (नगर पालिका), मालेगांव (नगर बस्ती), नांदेड़-वघाला (नगर पालिका), सांगली (नगर बस्ती)
22.	**मणिपुर**	---	---
23.	**मेघालय**	---	---
24.	**मिजोरम**	---	---
25.	**नगालैण्ड**	---	---
26.	**ओडिशा**	—	कटक (नगर बस्ती), भुवनेश्वर (नगर बस्ती), राउरकेला (नगर बस्ती)
27.	**पुदुचेरी (पांडिचेरी)**	—	पुदुचेरी (पांडिचेरी) (नगर बस्ती)
28.	**पंजाब**	—	अमृतसर (नगर बस्ती), जालंधर (नगर बस्ती), लुधियाना (नगरपालिका)
29.	**राजस्थान**	—	बीकानेर (नगर पालिका), जयपुर (नगर पालिका), जोधपुर (नगर बस्ती), कोटा (नगर पालिका), अजमेर (नगर बस्ती)
30.	**सिक्किम**	---	---
31.	**तमिलनाडु**	चेन्नई (नगर बस्ती)	सलेम (नगर बस्ती), तिरुप्पुर (नगर बस्ती), कोयम्बटूर (नगर बस्ती), तिरुचिरापल्ली (नगर बस्ती), मदुरई (नगर बस्ती), इरोड (नगर बस्ती)
32.	**त्रिपुरा**	---	---
33.	**उत्तर प्रदेश**	—	मुरादाबाद (नगर पालिका), मेरठ (नगर बस्ती), ग़ाजियाबाद*(**नगर बस्ती**), अलीगढ़ (नगर बस्ती), आगरा (नगर बस्ती), बरेली (नगर बस्ती), लखनऊ (नगर बस्ती), कानपुर (नगर बस्ती), इलाहाबाद (नगर बस्ती), गोरखपुर (नगर बस्ती), वाराणसी (नगर बस्ती), सहारनपुर (नगर पालिका), नोएडा* (नगरक्षेत्र), फिरोजाबाद (नगरपालिका परिषद्), झांसी (नगर बस्ती)
34.	**उत्तराखंड**	---	देहरादून (नगर बस्ती)
35.	**पश्चिम बंगाल**	कोलकाता (नगर बस्ती)	आसनसोल (नगर बस्ती), सिलीगुड़ी (नगर बस्ती), दुर्गापुर (नगर बस्ती)

* आश्रितता के आधार पर मकान किराया भत्ता दिए जाने मात्र के प्रयोजन से।

टिप्पणी

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अवस्थित शेष नगर/कस्बे जो 'एक्स' अथवा 'वाई' के रूप में किए गए उक्त वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल नहीं हैं उन्हें मकान किराए भत्ते के प्रयोजन से 'जैड' वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

***